झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषयः–झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 के परीक्षाफल में आवश्यक संशोधन के संबंध में।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 का परीक्षाफल दिनांक–23.02.2017 को प्रकाशित किया गया था। परीक्षाफल के प्रकाशनोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–5562 दिनांक–19.04.2017 के द्वारा उक्त परीक्षाफल में संशोधन करने संबंधी लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक–11.08.2017 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया।

2. संशोधित परीक्षाफल के संदर्भ में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें अनारक्षित श्रेणी के समकक्ष या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं रखा गया है। उनके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुए नये सिरे से संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल में आरक्षण के प्रावधान लागू करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कतिपय याचिकाएँ भी दायर की गयी हैं, जो सम्प्रति माननीय न्यायालय के विचाराधीन हैं।

3. उल्लेखनीय है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–6525 दिनांक–30.11.2002 के द्वारा अधिसूचित परीक्षा प्रक्रिया (Plan of Examination) के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2312 दिनांक–19.06.2014 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा मात्र एक Screening परीक्षा है तथा इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को उम्मीदवारों के मेधासूची निर्धारण करने में गणना नहीं की जाती है। साथ ही आयोग द्वारा बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AP Public Service Commission Vs Baloji Badhavath & Ors (SLP Civil No.-18308/2009) एवं Chhatar Singh Vs State of Rajasthan (Civil Appeal No.-13118/1996) में पारित आदेश के आलोक में कुल रिक्तियों के 13 गुणा (सम्प्रति 15 गुणा) अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाता है। साथ ही आयोग के द्वारा उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा भी याचिका संख्या–एल०पी०ए० नं०–647/2015 लक्ष्मण टोप्पो व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक–23.09.2015 को पारित न्यायादेश में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने को सम्यक् बताया गया है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधासूची का निर्धारण नहीं किया जाता है।

4. संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 की प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदन एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुरोध को दृष्टिपथ में रखते हुए कार्मिक विभागीय पत्र संख्या–731 दिनांक–24.01.2018 के द्वारा दिनांक–29.01.2018 से प्रारंभ होनेवाली मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित रखने का झारखण्ड लोक सेवा आयोग से किये गये अनुरोध के आलोक में आयोग के द्वारा दिनांक–29.01.2018 से प्रारंभ होनेवाली मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा गया है।

5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा के प्रयोजनार्थ विभागीय संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्न प्रकार निर्धारित है:–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्चर–1	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

6. वर्णित परिपेक्ष्य में सरकार द्वारा सम्यक् विचार करते हुए एवं विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड का मन्तव्य प्राप्त कर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 के परीक्षाफल में तथाकथित विसंगतियों के निराकरण हेतु निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है–

(i) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक), 2016 में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा संकल्प संख्या–13026 दिनांक–27.11.2012 के अनुसार अपनी श्रेणी में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से अन्यून अंक प्राप्त किया गया है, को संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 की मुख्य परीक्षा के लिए चयनित (Selected) समझा जायेगा।

(ii) उपर्युक्त व्यवस्था मात्र झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के लिये प्रभावी होगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

आदेशः आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/लो०से०आ०–01–04/2017 का०–1153/राँची, दिनांक 12.7.18

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/7/18

सरकार के प्रधान सचिव।

357